कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–2669 /FP/UK/ROAD/43650/2019 :देहरादूनःदिनांकः 17- अप्रैल, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अर्न्तगत सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त सौड़ से ओसला मोटर मार्ग (28.100) के र्निमाण हेतु 22.2165 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात विधिवत स्वीकृति के संम्बध में (FP/UK/ROAD/43650/2019)।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून का पत्रांक सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/80/2020/एफ0सी0/1415, दिनांकः 30.09.2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून की पत्र संख्या–4605/12–1 दिनांक 01.04.2021 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्ते	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति यथावत रहेगी।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण हेतु गैर वन भूमि का स्थानान्तरण हो चुका है। लेकिन गैर वन भूमि सौपीं नही गयी है, पत्र लिखा गया है साथ–साथ कार्यवाही की जा रही है।(संलग्नक–01)
3.	प्रतिपूरक वनीकरण : क) वनविभाग द्धारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 44.433 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम ओंसला सिविल खसरा न0 2,49, 3362, 3449, 3451 ,3470 ,3472, 3474, 3502 ,3505 ,3772 ,3774 मे प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा।जहा तक व्यावहारिक हो ,स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लाटेशन से बचे। ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वनविभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा।भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वनविभाग के स्वामित्व से बाहर है एव प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम ,1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। ग) वनमंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	(क) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वानिकी भूमि में स्थानीय व मिश्रित प्रजाती का रोपण किया जायेगा। (ख) शर्त के अनुपालन में जिलाधिकारी उत्तरकाशी, के आदेश दिनांक 03.11.2020 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में नमान्तरण/हस्तान्तरण किया जा चुका है जिसके अभिलेख संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–02) (ग) शर्त के अनुपालन में वनमंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है। (संलग्नक–3)।

4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य	गैर वनिकी भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के नाम किया जा चुका है।(साक्ष्य संलग्न है)
(क)	इस संबधं में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या:202.1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002. 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ सी.(Pr.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी.दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007 –एफ.सी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 22.2165 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) प्रस्ताव के तहत 22.2165 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किया जा चुका है। (संलग्नक–4)
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की वृद्वि का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–5)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 172 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के संख्त पर्यवेक्षण में कटेगें । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वनविभाग के विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्यूनतम पेड़ो की कटाई की जायेगी पेड़ो की संख्या 172 से अधिक नही होगी। पेड़ो की कटाई की लागत प्रयोक्ता खण्ड द्वारा वहन की जायेगी। (संलग्नक–6)
6.	User Agency will deposit the NPV 10 times as the proposed area Falls in National park.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राष्ट्रीय पार्क की 10 गुना एन0पी0वी0 धनराशि जमा कर दी गयी है। (संलग्नक–4 के अनुसार)
7.	State Govermment and user agency may strictly comply the conditions of Zonal Master Plan and Bhagirathi Eco-Sensitve Zone notifieation.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जोनल मास्टर प्लान एवं भागीरथी ईको सेन्सिटिव जोन का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
8.	State Govt. will inform this office if pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt.will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission .	स्टेज–II के कार्य से पूर्व पेड़ कटान से सम्बंधित सभी आर्डर राज्य सरकार से प्राप्त किये जायेगे।
9.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड़ में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगें।	प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त धनराशि रू0 16,09,44,502 ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर दिया गया है। (संलग्नक–4 के अनुसार)
10.	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ आर ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर के प्रमाण पत्र द्वारा सुनिश्चित किया गया है। (संलग्नक–7)
11.	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगे।	संरक्षित/वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर विनियन साईनेज लगाए जायेगें, अनुपालन किया जायेगा।
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानो के अनुसार आदेशो का पालन किया जायेगा।
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउटप्लान नही बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जायेगा।
14.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा। अनुपालन किया जायेगा।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वनविकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मजदूरों को विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। अनुपालन किया जायेगा।
16.	संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमाकन किया जाएगा।	संम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निंदेशानुसार प्रत्यार्वतित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।

17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।
18.	इस अनुमोदन मे प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा।	इस अनुमोदन मे प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा। अनुपालन किया जायेगा।
19.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।
20.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों विभाग अथवा व्यक्तियो को हस्तांतरित नही की जाएगी।	केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य विभाग को हस्तान्तरित नही की जायेगी।
21.	इनमे से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42.2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में निहित शर्तो का उल्लंघन किसी भी दशा में नही किया जायेगा।उल्लंघन की दशा में उचित कार्यवाही हेतु बाध्य है।
22.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीव के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीव के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।
23.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे।राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिरकण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा।मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी।निस्तारण स्थलों को राज्य के वनविभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	विभाग द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 में मलवा निस्तारण हेतु उचित स्थानो पर Dumping Plan का प्राविधान किया गया है जिसमें उक्त स्थान पर आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कर मलवे को स्थिर किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण स्थानों पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर इनका स्थिरीकरण कार्य किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्ष की कटाई नही की जायेगी।
24.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25.	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https;/parivesh.nic/in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) में ही अपलोड की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 17/4/24

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या– / FP/UK/ROAD/43650/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, पुरोला, उत्तरकाशी।

(डी0जे0के0 शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

उत्तराखण्ड, देहरादून